5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

3 A-

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश भोपाल बैच।

प्रकरण .... निग./।/वर्ष-2015-16 ग्राम हथलेवा,तह.बुदनी,जिला सीहोर,

नि.ग -492-II-16

1. राजेश सिंह आत्मज श्री अमर सिंह,आयु-वयस्क,
2. गंगू सिंह आत्मज श्री अमर सिहं,आयु-वयस्क,
3. जसवन्त सिंह आत्मज श्री अमर सिंह,आयु-वयस्क,
4. महेन्द्र सिंह आत्मज श्री अमर सिंह,आयु-वयस्क,
5. राजू सिंह आत्मज श्री अमर सिंह, आयु-वयस्क,
6. मिसरियाबाई बेबा श्री अमर सिंह, आयु-वयस्क,
7. अदीप सिंह आत्मज श्री अमर सिंह,आयु-वयस्क,

समस्त निवासीगण- ग्राम हथलेवा,
तहसील-बुदनी, जिला-सीहोर,मध्यप्रदेश। .... आवेदकगण/निगरानीकर्ता

(45)

श्री राजेन्द्र वर्मा अभि० द्वारा आज दि० 31/12/15 को प्रस्तुत

विरुद्ध

रूकमणीबाई बेबा मोहन सिंह (मृत) द्वारा-
विजय सिह आत्मज श्री भूरेसिंह, राजपूत,
निवासी-वार्ड क्र-6,बुदनी,जिला-सीहोर,मध्यप्रदेश, ... अनावेदकगण/प्रतिनिगरानीकर्ता

31/12/15

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत् निगरानी याचिका

माननीय महोदय,

निवेदन है कि आवेदक पक्ष द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण कमाक 297/अपील/वर्ष 2014-15 अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जिसे अपर आयुक्त महोदय के द्वारा ग्राह्रय कर आवेदक के पक्ष में दिनांक 13.02.2015 को स्थगन आदेश जारी किया गया। प्रकरण में आवेदक पक्ष को बिना सूचित किये नियत दिनांक के पूर्व ही दिनांक 18.05.2015 को स्थगन आदेश दिनांक 13.02.2015 निरस्त करते हुए प्रकरण अपने न्यायालय से अंतरित करने हेतु स्थगित कर दिया। चूंकि आवेदक पक्ष को आगामी कार्यवाही की कोई सूचना अभी तक नही है एंव आवेदक पक्ष के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय के आदेश के परिपालन में क्रियान्वयन कभी भी किया जा सकता है इसलिए पर्याप्त समय प्रतीक्षा के उपरान्त न्यायप्राप्ति हेतु यह याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 492–दो/16 **जिला** – सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.3.16	अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा आदेश पत्रिका में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त भोपाल के न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 13.2.15 के संबंध में सी0एम0 ऑनलाइन पर अपर आयुक्त भोपाल की शिकायत की गई है। इस संबंध उक्त आदेश पत्रिका आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को भेजी गई है इस हेतु आयुक्त भोपाल द्वारा दिनांक 29.4.15 को लेख किया गया है कि अपर आयुक्त एवं आयुक्त को राजस्व प्रकरण में सुनवाई करने का अधिकार बरावर है । अतः इस हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को पत्र कमांक 2656/रीडर/15 दिनांक 18.5.15 का इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है । 2– अतः मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया तथा अपर आयुक्त भोपाल के न्यायालय से आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के न्यायालय में प्र0क0 291/अपील/14–15 अन्तरित करने की अनुमति देता हूॅ। 3– प्रकरण इस न्यायालय से समाप्त किया जाता है । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का अभिलेख अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे। सदस्य	